

[भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं. 70/2019- केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 13 दिसंबर, 2019

सा.का.नि.....(अ).- केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 48 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को जिनका एक वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त एक सौ करोड़ रुपए से अधिक है, एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है, जो उक्त नियम के नियम 48 के उपनियम (4) के निबंधनों के अनुसार, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को माल व सेवा या दोनों की आपूर्ति हेतु, बीजक तैयार करेंगे।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 20/13/01/2019-जीएसटी]

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार